

कार्यालय मुख्य अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष, लघु सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड
लघु सिंचाई भवन, लेन नं०-3, इन्द्रप्रस्थ कॉलोनी, नत्थनपुर, जोगीवाला, देहरादून।

संख्या 1519/ल0सि0/कार्य0/नाबार्ड/2023-24

दिनांक 16 दिसम्बर, 2023

सेवा में,

अधिसासी अभियन्ता,
लघु सिंचाई खण्ड,
देहरादून/पौड़ी/चमोली/रूद्रप्रयाग/
नैनीताल/बागेश्वर/चम्पावत/पिथौरागढ़/
उत्तरकाशी/टिहरी/ऊधमसिंहनगर।

विषय: वित्तीय वर्ष 2023-24 हेतु नाबार्ड वित्त पोषित योजनान्तर्गत RIDF-XXIX में स्वीकृति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक सहायक प्रबन्धक, राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण बैंक, उत्तराखण्ड, देहरादून के पत्र संख्या 2364 दिनांक 19.12.2023 के द्वारा वित्तीय वर्ष 2023-24 हेतु नाबार्ड वित्त पोषित योजनान्तर्गत RIDF-XXIX में 62 योजनाओं की स्वीकृति प्राप्त हुई है।

अतः स्वीकृत योजनाओं की सूची संलग्न कर इस निर्देश के साथ प्रेषित की जा रही है कि योजनाओं पर निविदा की कार्यवाही सम्पादित करना सुनिश्चित करें तथा प्रशासनिक/वित्तीय स्वीकृति प्राप्त होने के उपरान्त योजनाओं का अनुबन्ध कराते हुए निर्माण कार्य प्रारम्भ करना सुनिश्चित करें।

संलग्न: उपरोक्तानुसार।

भवदीय,

(सुरेश चन्द्रा) 26/12/2023

स्टाफ अधिकारी,

कृते मुख्य अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष,
लघु सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड,
देहरादून।

संख्या /ल0सि0/कार्य0/नाबार्ड/2023-24 दिनांक: उक्तवत्।

प्रतिलिपि: अधीक्षण अभियन्ता, लघु सिंचाई वृत्त,
टिहरी/पौड़ी/दुधदुानी/पिथौरागढ़ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

(सुरेश चन्द्रा)

स्टाफ अधिकारी,

कृते मुख्य अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष,
लघु सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड,
देहरादून।